न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 57/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 नारायणलाल पुत्र खेताजी		1 नेनाराम पुत्र खीमाजी जाति सिरवी निवासी बिजोवा तहसील रानी
2 प्यारी बाई पत्नी हकाजी		2 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी
3 गुलाराम पुत्र खेताराम		
4 पुखराज पुत्र खेताराम जातिगण सिरवी निवासीगण बिजोवा तहसील रानी		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.8.2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 5ए/2016 नेनाराम बनाम नारायणलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.09.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा बिजोवा के खसरा नम्बर 49/2 रकबा 1.56 हैक्टेयर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 57/5 की दक्षिण पूर्वी माठ के सहारे सहारे करीब 15 फीट रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की तथा अपने जवाब में वैकल्पिक मार्ग होना जाहिर किया। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 54/3, 54/4, 52/2 व 52/3 में से 4 मीटर चौडा रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कार्य में लिये जा रहे कदीमी रास्ता जो नहर के सहारे सहारे गुजर रहा है, उस बारे में न तो कोई जांच की तथा न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मौका निरीक्षण किया गया। रेस्पोडेन्ट एवं उसके भाईयों के मध्य अपनी खातेदारी भूमि का विभाजन हो रखा है, जिसमें एक रास्ता खसरा नम्बर 51 से आरम्भ होकर एल आकार में खसरा नम्बर 45 तक जाता है, जो रेकर्ड में खसरा नम्बर 49/1875 के रूप में इन्द्राज किया हुआ है। इसके अतिरिक्त एक अन्य रास्ता खसरा नम्बर 45के उत्तरी दक्षिणी दिशा में स्थित है, जो इटन्दरा गांव से रानी स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क पर मिलता है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट के पिता के समय से उनका आना जाना बिजोवा रानी सड़क पर आए हुए पेट्रोल पम्प के सामने से होता हुआ रास्ता खसरा नम्बर 69/1603 व 69/1604 में से रहा है, जो वर्तमान में खसरा नमबर 71 में से 71/1596 में होकर रेस्पाडेन्ट के खसरा नम्बर 49 तक जाता है। इस पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नया मार्ग प्रदान करने हेतु जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट को आधार मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है तथा पटवारी हल्का द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में मौका देखे बिना निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई एवं पुनः मौका निरीक्षण हेतु निवेदन किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे नजरअन्दाज कर दिया तथा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग का अभाव होने के कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु नारायणलाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 57/5 में से रास्ते का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस नारायणलाल को प्राप्त होने पर नारायणलाल द्वारा भूमि की बाउण्ड्री बना ली तथा टिनशेड लगा दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दो बार मौका रिपोर्ट तलब की, दोनों ही मौका रिपोर्ट में प्रस्तुत तथ्य समान है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया तथा 4 मार्ग अंकित किए, किन्तु उनमें से कौनसा मार्ग चालू है, जिसमें से रेस्पोडेन्ट आवागमन करता है, वो नहीं बताया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार रानी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके आधार पर अन्य भूमि से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट द्वारा राशि भी जमा करवाई जा चुकी है, किन्तु अपील प्रस्तुत होने के कारण उक्त आदेश की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच करने एवं पक्षकारान् का सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बतौर प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

खातेदारी भूमि मौजा बिजोवा के खसरा नम्बर 49/2 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 57/5 में से 15 फीट का रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट संख्या 1 को जरिये नोटिस तलब किया तथा तहसीलदार रानी से मौका जांच रिपोर्ट तलब की। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार रानी द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व /17/183 दिनांक 10.02.2017 के जरिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया कि खसरा नमबर 57/5 में खातेदारी नारायणलाल द्वारा दीवार बनाकर मवेशियों हेतु टीनशेड बना रखा है तथा उकत प्रस्तावित मार्ग प्रार्थी नेनाराम के लिए काफि दूरी पर है। अतः नदी के सहारे सहारे खसरा नम्बर 54/3, 54/4, 53, 52/2 व 52/3 में से खसरा नम्बर 51 तक मार्ग दिया जा सकता है, जिसमें प्रार्थी नेनाराम की सहमति है। इस पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सम्बन्धित खातेदारान् को पक्षकार संयोजित कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्बन्धित खातेदारान को बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की। इसके पश्चात दिनांक 28.03.2017 को तहसीलदार रानी एवं भू0अ0नि0 बिजोवा द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा खसरा नम्बर 49/2 में जाने हेतु खसरा नम्बर 52/2, 52/3, 54/4 व 54/3 में से निकटतम रास्ता होना जाहिर किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा द्वारा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट तलब की। इस पर तहसीलदार रानी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का राजस्व रेकर्ड के अनुसार कोई रास्ता दर्ज नहीं है। रेस्पोडेन्ट के खेत तक जाने के लिये निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 69 व 69/1604 किस्म गै0मु0 रास्ते के रूप में उपलब्ध है। उक्त खसरा नम्बरान की प्रार्थी के खेत की दूरी 220 मीटर है। इस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शे के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जिस रास्ते को तहसीलदार द्वारा इस रिपोर्ट के जरिये निकटतम बताया गया है, वह रास्ता जैर अपील आदेश के जरिये दिए गए रास्ते से अपेक्षाकृत अधिक लम्बी दूरी का है, जो विभिन्न खातेदारान् की खातेदारी भूमियों को पार करता हुआ रेस्पोडेन्ट की खातेदारी जोत तक जाता है। सन्दर्भित कानून के तहत निकटतम मार्ग की परिभाषा में तहसीलदार द्वारा सुझाया गया रास्ता विधि सम्मत नहीं पाया जाता है, क्योकि यह अपेक्षाकृत अधिक दूरी का परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त उक्त रास्ते से जो भूमियां प्रभावित होंगी, उसके खातेदार भी प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रिपोर्टें प्रस्तुत की है, वे परस्पर विराधाभाषी है, जिनकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं रेकर्ड के अनुसार आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग तथा वैकल्पिक मार्ग का अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। जिस भूमि में से अपीलाण्ट वैकल्पिक मार्ग होना बताते है, वह अन्य व्यक्तियों की खातेदारी भूमि है तथा तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके पर मार्ग उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 5ए/2016 नेनाराम बनाम नारायणलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.09.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली